कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 786 / 2016 / 10–11 / 1319 भोपाल, दिनांक 7-5-2018

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– भोपाल जिले में श्यामला हिल्स में जज इन्क्लेव से लगी भूमि पर न्यायायिक अधिकारियों के लिए आवास निर्माण हेतु 2.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 6-MPB029/2016-BHO/500, दिनांक 03.08.2017

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्रकरण में 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

1- In the first instance, State Govt. of Madhya Pradesh sought diversion of 2.00 ha. of forest land for residential quarters. Now the proposal has been changed to 1.00 ha of forest land for training institute and temporary hostel. Kindly provide the necessary reason for the change in nature and scope of the project proposal.

उक्त बिन्दु के पालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 2080 / 2018 दिनांक 09.04.2018 से अवगत कराया है कि प्रकरण में आवास गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटन में होने वाले विलम्ब को देखते हुए जजेस इन्क्लेव, श्यामला हिल्स में न्याय विभाग के आधिपत्य में उपलब्ध 3150 वर्गमीटर भूमि पर आवास गृहों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रस्तावित भूमि रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण हेतु आवंटित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

2- A copy of the state Govt. of Madhya pradesh's order vide which the competent authority has approved the construction of the training institute and temporary hostel may be made available to this office.

उक्त बिन्दु के पालन में मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2018 से उच्च न्ययालय, जबलपुर के रजिस्ट्रार का पत्र दिनांक 07.10.2017 संलग्न प्रस्तुत किया है। रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा इस पत्र में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर तथा हॉस्टल की स्वीकृति दी है (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

3- The layout plan of proposed training institute and temporary hostel may kindly be submitted to this office along with the KML file.

उक्त बिन्दु के पालन में मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2018 से पी.डब्ल्यु.डी. विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर की ड्राइंग प्रस्तुत की है, जो संलग्न प्रस्तुत है।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में से 1.00 हेक्टेयर वन भूमि की प्रथम चरण सैद्धान्तिक अनुमति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

07/05/18

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–5/786/2016/10–11/1320 भोपाल, दिनांक 7-5-2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल भोपाल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07/05/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल